उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद झांसी में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30-12-2024 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः-

1. श्री रणवीर प्रसाद, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।
2. श्री प्रशान्त शर्मा , विशेष सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री रामरतन, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष सचिव वित्त के प्रतिनिधि)।
5. श्री पंकज सिंह, सचिव एवं मुख्य परि0 अधि0, यूपीनेडा(निदेशक,यूपीनेडा के प्रतिनिधि)।

3156

SPO II (NS)

10/1/25

बैठक में जिलाधिकारी झांसी एवं निदेशक, यूपीनेडा द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 03-08-2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

2- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा जनपद झांसी में 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के लिए आवेदन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी झांसी के आदेश संख्या 638/12638/12ए-डीएलआरसी/2024-25/पुर्नग्रहण/ऊर्जा स्रोत दिनांक 13-11-2024 द्वारा तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 463.058 हे0 (1144.24 एकड़) भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

3- सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा एन0टी0पी0सी0 ग्रीन के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में उक्त परियोजना स्थापित की जा रही है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिलाधिकारी झांसी द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि 463.058 है0 (1144.24 एकड़) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर 30 वर्ष के लिए लीज पर उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

4- राज्य स्तरीय समिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा जिलाधिकारी झांसी से विचार विमर्श के उपरान्त जनपद झांसी की तहसील गरौठा के ग्राम डुमरई में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिलाधिकारी झांसी द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को लीज पर आवंटित 463.058 है0 (1144.24 एकड़) भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को रू0 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जाने के संबंध में निदेशक, यूपीनेडा द्वारा की गयी संस्तुति को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकार किया गया:-

1- उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति 2022/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2- स्वीकृति की तिथि से 01 माह के भीतर अनुबंध कर लिया जाएगा।
3- 06 माह में परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
4- 18 माह में परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।

समिति के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहमति दी गयी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अनुपम शुक्ला)	(राम रतन)	(नील रतन कुमार)	(नरेन्द्र भूषण)
निदेशक,	विशेष सचिव,	विशेष सचिव,	अपर मुख्य सचिव,
यूपीनेडा	राजस्व विभाग	वित्त विभाग	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

संख्या 126/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2025

लखनऊः दिनांक 7 फरवरी, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
3. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, झाँसी ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।